न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 13/2022

रुबड पुत्र हसमल जाति मेव निवासी ग्राम जोतरी पीपल तहसील पहाडी (भरतपुर)

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पहाडी (भरतपुर)

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट

1. श्री नसरू खाँ वकील प्रार्थी

दिनांक :-31/05/2022

निर्णय

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 69 रकबा 90 बीघा 4 बिस्वा बाके ग्राम जोतरी पीपल में से प्रार्थी को 5 बीघा रकबा वर्ष 1984 में राज्य सरकार द्वारा कीमतन आवंटित किया गया था। जिसकी पालना में प्रार्थी को साविक खसरा नम्बर 69 में वजानिव पूरब मध्य में कब्जा प्रार्थी को सरकार द्वारा मौके पर दिया गया तथा राजस्व रिकॉर्ड में भी प्रार्थी को खसरा नम्बर 69 मिन/5-00 बीघा पर गैरखातेदार दर्ज कर दिया गया। तभी से प्रार्थी उक्त खसरा नम्बर पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा प्रार्थी ने अपनी आराजी की सिंचाई हेतु इस खसरा नम्बर में अपने कब्जे काश्त की भूमि पर बोंरिग लगा रखा है तथा हाल में गेहूँ व सरसों की फसल बो रखी है और मौके पर डौल मेड कायम कर रखी है। सैटलमेन्ट में प्रार्थी के गैरखातेदारी के साविक खसरा नम्बर 69 मिन/5-00 बीघा से नया खसरा नम्बर 92/0.81 हैक्टर बनाना बताया जाकर प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज किया जो सही है। किन्तु साविक नक्शा के अनुसार जहाँ प्रार्थी को कब्जा दिया गया है और प्रार्थी काबिज काश्त है उस स्थान को प्रार्थी की खातेदारी के हाल खसरा नम्बर 92/0.81 हैक्टर को नक्शा ट्रेस में सही नहीं बताया गया है । अक्श नक्शा में मौके के विपरीत उत्तर पश्चिम में दर्शाया गया है। जो गलत है जबकि प्रार्थी साविक खसरा नम्बर 69 के वजानिव पूरब दिशा में काबिज है तथा इस दर्शाई हुई जगह में खसरा नम्बर 93 का कुछ भाग है और खसरा

उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

नम्बर 92 जिस जगह पर प्रार्थी की खातेदारी बतलाया गया है यह मौके के अनुसार हाल खसरा नम्बर 93 का भाग है। जिसमें सरकारी बांध व अन्य ग्राम वासियों के मकानात बने हुये है। उक्त खसरा नम्बर 92 व 93 बांके ग्राम जोतरी पीपल की मौके की रिपोर्ट बाबत प्रार्थी ने दिनांक 20/12/2021 को प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर श्रीमान तहसीलदार साहब पहाडी द्वारा हल्का पटवारी भू-अभिलेख निरीक्षक से रिपोर्ट चाही तब उक्त हल्का पटवारी व भू-अभिलेख निरीक्षक ने मौके पर पहुंचकर वस्तुस्थिति की जाँच की तो खसरा नम्बर हाल 92/0.81 का भू- नक्शा ट्रेस मौके के विपरीत पाया गया और मौके पर नक्शा अक्श में जिस जगह हाल खसरा नम्बर 92/0.81 स्थित है उस स्थान को नक्शा अक्श में मौके अनुसार प्रस्तावित कर रिपोर्ट तैयार कर तहसीलदार पहाडी के समक्ष पेश की है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी पेश कर निवेदन है कि खसरा नम्बर 92 को सैटलमेन्ट नक्शा ट्रेस में मुताबिक मौका दुरूस्त किया जाकर लाल स्याही से सही स्थान दर्शाया जाकर चिन्हित कराये जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स्वयं न्यायालय में उपस्थित आया। प्रार्थना पत्र प्रार्थी पर अपनी सहमति देते हुये जबाब इस आशय का पेश किया कि मेरे द्वारा आपके कार्यालय में पूर्व में भेजी गई रिपोर्ट के मुताबिक खसरा नम्बर 92 के नक्शा ट्रेस में संशोधित किया जाकर नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से अंकन किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। जिसे न्यायहित में दुरूस्त किया जावें।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को ही दोहराया।

हमने बहस प्रार्थी का मनन किया, पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं जबाब तहसीलदार एवं मौका रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण नक्शा शुद्धि का है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड आराजी खसरा नम्बर 69 रकबा 90 बीघा 4 बिस्वा का मकबूजा सरकार दर्ज था। जिसमें से प्रार्थी को सन् 1984 में 05 बीघा भूमि आवंटित हुई थी। साविक आराजी खसरा नम्बर 69 रकबा 90 बीघा 4 बिस्वा से हाल आराजी खसरा नम्बर 92/0.81 एवं 93/13.79 निर्मित हुये थे। जिसमें हाल आराजी खसरा नम्बर 92/0.81 प्रार्थी के नाम एवं आराजी खसरा नम्बर 93/13.79 मकबूजा सरकार के नाम दर्ज है। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट मौके पर भी इसी अनुसार खातेदार काबिज है। परन्तु नक्शे की स्थिति विपरीत है। वर्तमान नक्शे में बन्दोबस्त विभाग द्वारा आराजी खसरा नम्बर 92/0.81 को आंशिक रूप से गलत दर्शित किया गया है। आराजी खसरा नम्बर 92/0.81 का कुछ भाग खसरा संख्या 93/13.79 मकबूजा

उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

सरकार में आता है। जिससे लाल स्याही से नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है। वर्तमान नक्शे में बन्दोबस्त विभाग द्वारा नया नक्शा निर्मित करते समय मौके का निरीक्षण नहीं किया गया और नवीन नक्शे में दोनो खसरा नम्बरो को आपस में कब्जे के विपरीत दर्शा दिया है। इस तथ्य पर अप्रार्थी तहसीलदार पहाड़ी ने पूर्ण सहमति प्रदान की है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि बन्दोबस्त विभाग द्वारा नक्शा तरमीम करते समय भारी भूल की है। जिसे सुधारा जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार किया जाता है। मुताबिक मौका स्थिति के खसरा नम्बर 92/0.81 को प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार दर्शाया जावे। तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 28.01.2022 मय नक्शा ट्रेस निर्णय के साथ जुज रहेगी।

निर्णय आज दिनांक 31/05/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner